पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाईः–

1. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती के साथ पशुपालन (गाय, भैंस, बैल आदि) करते हों। एक किसान पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु अधिकतम 03 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

2. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु ईट का स्थायी रूप से पीट तैयार किया जायेगा। पीट का आकार 10'X3'X2.5'=75 घन फुट का होगा। दीवार की मोटाई 5" से कम नहीं होना चाहिए। पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढ़ंकना आवश्यक होगा। मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा। पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का फर्श ईट का बना हो।

3. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5000 रू0/इकाई, दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान देय है। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 (तीन) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु ही अनुदान दिया जा सकेगा।

4. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन **आगामी 05 वर्षों तक** करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र का प्रारूप अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है।

5. **आवेदन की विधिः–**

(क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा **ऑन–लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि–31.10.2023 निर्धारित है।**

(ख) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।

(ख) पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई हेतु सिर्फ किसान द्वारा ही आवेदन समर्पित किया जायेगा किसी भी गैर सरकारी संस्था/अन्य संस्था/किसान समूह से वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा।

(ग) किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध ''अनुदान के लिए आवेदन'' मेनू पर क्लिक करेंगें और अनुदान के प्रकार यानि ''पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान'' का चयन करेंगें।

(घ) पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक का पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र ''डिस्प्ले'' किया जायेगा।

(ड.) किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से ऑन–लाईन पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से पक्का वर्मी कम्पोस्ट अनुदान के लिए ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं।

6. **लक्ष्य का निर्धारण–**

जिला कृषि पदाधिकारी, जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः **80.15605%, 18.58536% एवं 1.25859%** के अनुपात में विखंडन कर सभी प्रखंडों के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगें।

7. आवेदन पत्र की जॉच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया–

किसान द्वारा समर्पित ऑन–लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत् निर्धारित सभी शर्त्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित करेंगें।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हैः–

(क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन–लाईन आवेदन एवं शपथ–पत्र अनुसूची–01 (किसान का हस्ताक्षर सहित) अपलोड करने के उपरांत आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।

(ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगें–

- अनुसूची–02 (हस्ताक्षर सहित) ऑन–लाईन अपलोड करना।
- कम्पोस्ट निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जॉच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

(ग) कृषि समन्वयक अधिकतम 10 दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगें या फिर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगें। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

(घ) प्रखंड कृषि पदाधिकारी अधिकतम चार दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगें या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेंगें। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।

(ड.) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 07 दिनों के अंदर करते हुए कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगें तथा संबंधित आवेदक को अनुसूची–03 में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत कर ऑन–लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(च) आवेदन का अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

8. अनुदान भुगतान की प्रक्रियाः–

(क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

(ख) लाभार्थी किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर निर्माण पूर्ण करने तथा स्वीकृति पत्र से 75 दिनों के अंदर केचुआ खाद के प्रथम खेप तैयार करने के पश्चात् पूर्ण रूप से भरा हुआ अनुसूची–04 में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची–04 में दावा प्राप्त होने के 05 (पाँच) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक अनुसूची–05 में अनुदान दावे का सत्यापन करते हुए, अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 ऑन–लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

(घ) जिला कृषि पदाधिकारी, अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें।

(ड.) अनुदान का दावा स्वीकृति पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं 75 दिनों के अंदर प्रथम खेप उत्पादन करने के पश्चात् करना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2023–24 के मार्च–24 के प्रथम सप्ताह तक ही किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनुदान दावा मान्य नहीं होगा।

(च) अनुदान भुगतान में गोबर पर व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

9. कृषि समन्वयक का दायित्व–

(क) इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार अपने क्षेत्रों में किसान सलाहकार के सहयोग से करना सुनिश्चित करेंगें एवं अनुसूची–02 में वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदक का स्थल जाँच करना।

(ख) ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन को 10 दिनों के अंदर जाँच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(ग) कम्पोस्ट निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-tagged फोटोग्राफ अपलोड करना एवं प्रथम खेप उत्पादन का Geo-tagged फोटोग्राफ किसान के साथ अपलोड करना।

(घ) अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुसूची–04 का सत्यापन अनुसूची–05 में 05 (पाँच) दिनों के अंदर करते हुए अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 ऑन–लाईन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।

(ड.) पंचायत स्तर पर लाभार्थी किसानों का सभी आवश्यक कागजात एवं पंजी संधारण करना।

(च) प्रति इकाई 4–5 किलो केंचुआ की क्रय करने में आपूत्तिकर्ता की सूची लाभुकों को उपलब्ध कराना।

(छ) ऐसे कोई लाभार्थी किसान जिनके द्वारा अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन नहीं कर रहे हों, की सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

10. प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व–

(क) प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना।

(ख) प्रखंड स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए 04 (चार) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(ग) प्रखंड स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।

(घ) अनुदान दावा हेतु अग्रसारित अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 का सत्यापन 02 (दो) दिनों के अंदर करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।

(ड.) वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण एवं पूर्णता से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(च) 25 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(छ) प्रखंड क्षेत्र के अन्तर्गत वैसे किसान, जो अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन नहीं कर रहे हों (अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक) से अनुदान राशि की वसूली करना सुनिश्चित करेंगें। अनुदान राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को सूचना देना।

11. <u>अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व</u>–

(क) अनुमंडल स्तर पर स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करना।

(ख) अनुमंडल स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।

(ग) अनुमंडल स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।

(घ) 15 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(ड.) भुगतान दावे का भौतिक सत्यापन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को भुगतान हेतु अनुशंसा करना।

12. <u>सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का दायित्व</u>–

(क) जिला स्तर पर स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करना।

(ख) जिला स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।

(ग) वर्मी कम्पोस्ट पीट इकाई निर्माण की गुणवत्ता हेतु लगातार क्षेत्र भ्रमण करना।

(घ) 15 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(ड.) भुगतान दावे का भौतिक सत्यापन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को भुगतान हेतु अनुशंसा करना।

13. <u>जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व</u>–

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्वीकृति के पश्चात् सभी लाभान्वित किसानों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का प्रशिक्षण परियोजना निदेशक (आत्मा) के सहयोग से कलस्टर में देना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) कलस्टर में लाभान्वितों का चयन करायेंगे ताकि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण में आसानी हो सके।

(ग) किसानों को केंचुआ उपलब्ध कराने हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ता की सूची कृषि समन्वयक के माध्यम से सुनिश्चित करेंगें।

(घ) अनुदान प्राप्त वर्मी कम्पोस्ट इकाई पर उत्पादन हो इसका जिला स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के साथ समीक्षा करेंगें।

(ड.) अनुसूची–04 एवं अनुसूची–05 प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगें।

(च) 5 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(छ) वर्मी कम्पोस्ट इकाई का अनुदान भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता में ही अंतरित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नकद अथवा चेक से अंतरित नहीं किया जायेगा।

(ज) प्रत्येक माह के 05 वीं तिथि तक योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस को उपलब्ध कराना।

14. <u>प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व</u>–

(क) अपने प्रमंडल अंतर्गत इस कार्यक्रम की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करना।

(ख) 01 प्रतिशत नवनिर्मित वर्मी कम्पोस्ट इकाई का भौतिक सत्यापन करना।

(ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना।

15. <u>कृषि निदेशक का दायित्व</u>–

इस कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के लिए आवेदन पत्र का स्थल जाँच–पत्र

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....

4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हॉ/नहीं)–

5. स्वयं खेती करते हैं अथवा नहीं–

6. वर्मी कम्पोस्ट इकाई के निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता–

7. वर्मी कम्पोस्ट निर्माण स्थल की चौहद्दी–

   उत्तर–..... दक्षिण–.....
   पूरब–..... पश्चिम–.....

8. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)–

9. गोबर/कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता–

10. पूर्व में योजना का लाभ लिया गया है अथवा नहीं–

11. स्पष्ट मंतव्य–

(कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर)

नाम–

अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित विहित प्रपत्र

1. किसान का नाम–
2. पिता/पति का नाम–
3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....
4. बैंक खाता सं॰.....बैंक का नाम.....IFSC कोड सं॰ ....(पासबुक की छायाप्रति संलग्न)।
5. विभागीय स्वीकृति पत्र सं० ..... दिनांक .....
6. मेरे द्वारा निर्मित पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का विवरण निम्न प्रकार है–

गड्ढा सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घन फीट में)(लं०xचौ०xग०)
1				
2				
3				
4				
5				
कुल				

7. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरुप निम्नलिखित कागजात समर्पित किया जा रहा है–
    a. निर्धारित प्रपत्र में खर्च की गई राशि का विवरण
    b. केंचुआक्रय का कैशमेमो
    c. लाभार्थी के साथ इकाई का फोटोग्राफ

मुझे.....बैंक,.....शाखा के मेरे खाता संख्या–.. ..... IFSC कोड सं॰ .....में अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

तिथि– **किसान का नाम एवं हस्ताक्षर**

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

वर्मी कम्पोस्ट इकाई के अनुदान दावे का सत्यापन

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....

4. निर्मित इकाई का ब्योरा–

पीट सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घन फीट में) (लं०xचौ०xग०)
1				
2				
3				
4				
5				
कुल				

5. छप्पर का आकार–

6. पीट में गोबर/कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता

7. पीट मे केंचुआ की उपलब्धता –

8. किसान द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा रहा हैं अथवा नहीं–

9. इकाई का फोटोग्राफ लाभान्वित किसान के साथ–

10. स्पष्ट मंतव्य–

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

नाम–